

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] No. 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरूग्राम, 25 मार्च, 2019

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) विद्युत आपूर्ति कोड, विनियम, 2018

सं. जेई आरसी: 23/2018.—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 के अधिनियम संख्या 36) (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 50 के साथ धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अन्य सभी शक्तियों को इस ओर से सक्षम करने में सक्षम बिजली की आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, सांविधिक आदेश, संकल्प, स्पष्टीकरण, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इस प्रकार 'विद्युत आपूर्ति संहिता'' विनियम, 2018, इसके बाद आपूर्ति कोड, 2018 कहा जाता है (26 नवम्बर, 2018 को अधिसूचित)।

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

- (1) यह विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018 (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2019 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियमन 5.135 विद्युत आपूर्ति कोड, 2018 अब से निम्नलिखित से बदला जाता है:

जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज

5.135 लाइसेंसधारक वर्ष के लिए 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक दर पर उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान करेगा, जो उपभोक्ता की जमा सुरक्षा राशि पर सालाना देय होने पर, नए कनेक्शन के मामले में इस तरह की जमा राशि से प्रभावी रूप से देय होगा इस अधिसूचना या अन्य मामलों में, इस आपूर्ति संहिता, 2018 की अधिसूचना की तारीख से वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज उपभोक्ता के बिल में आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले बिलिंग चक्र के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि सुरक्षा गारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है सावधि जमा के खिलाफ ग्रहणाधिकार प्रदान करके उपभोक्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 589 / 18]

1928 GI/2019 (1)

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 25th March, 2019

Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) Electricity Supply Code, Regulations, 2018

No. JERC: 23/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 50, of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act'), and all other powers enabling it in this behalf including sub-ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (UTs) made the "Electricity Supply Code" Regulations, 2018, hereinafter called the Supply Code, 2018. (Notified on 26th November, 2018)

1. Short title and commencement

- These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 (First Amendment) Regulations, 2019
- 2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Regulation 5.135 of Supply Code, 2018 is hereby replaced with the following:

Interest on Security Deposit

5.135 The Licensee shall pay interest to the consumer at the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India prevailing on the 1st of April for the year, payable annually on the consumer's security deposit with effect from date of such deposit in case of new connections energized after the date of this notification, or in other cases, from the date of notification of this Supply Code, 2018. The interest accrued during the year shall be adjusted in the consumer's bill for the first billing cycle of the ensuing financial year. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.

RAKESH KUMAR, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./589/18]